संख्या-540/2023/2483/22-2-2023-17(484)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महबूब पुत्र श्री मो0 लतीफ, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07-06-2023) दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महबूब पुत्र श्री मो0 लतीफ, जो ललाना, थाना-चांदीनगर जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी ने अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनाक 23-08-2004 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की मां रफीकन की गर्दन काटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-735/2005, धारा-302/34 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (सी0बी0आई0), भ्रष्टाचार निवारण अधि0 उ0प्र0, पूर्वी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 26.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.05.2022 तक 15 वर्ष 05 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने या कराने में सम्मिलित होने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करनें में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने व दोनो पक्षों में तनाव का माहौल बना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से इन्कार नहीं किये जाने व बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनाक 23-08-2004 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की मां रफीकन की गर्दन काटकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महबूब पुत्र श्री मो0 लतीफ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी महबूब (बन्दी संख्या-14502) पुत्र श्री मो0 लतीफ, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-540/2023/2483(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0)सं0-160/2022 विनयपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-05-2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-540/2023/2483/22-2-2023-17(484)/2023

दिनांक 18 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महबूब पुत्र श्री मो0 लतीफ, जो ललाना, थाना-चांदीनगर जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी नें अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनाक 23-08-2004 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की मां रफीकन की गर्दन काटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-735/2005, धारा-302/34 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (सी0बी0आई0), भ्रष्टाचार निवारण अधि0, उ0प्र0 पूर्वी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 26.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.05.2022 तक 15 वर्ष 05 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट बागपत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने व समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने या कराने में सम्मिलित होने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करनें में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने व दोनो पक्षों में तनाव का माहौल बना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से इन्कार नहीं किये जाने व बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनाक 23-08-2004 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की मां रफीकन की गर्दन काटकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महबूब पुत्र श्री मो0 लतीफ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।